राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता योजना (Support to Urban Street Vendors - SUSV)" के अन्तर्गत शासनादेश संख्या– 834/69–1–14 –14(104)/2013 दिनांक 23 मई 2014 के द्वारा गठित सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में "राज्य परियोजना स्वीकृति समिति" की दिनांक 02.02.2016 को सूडा सभागार में अपराहन 05:30 बजे आयोजित पंचम बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता योजना हेतु उल्लिखित शासनादेश के माध्यम से गठित राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.02.2016 को आयोजित हुई, जिसमें समिति के सदस्यों और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/सूडा उ0प्र0 के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
2. श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, सूडा, उ0प्र0।
3. श्री मृदुला सिंह, अपर निदेशक, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री शशि कान्त शुक्ला, अनुसचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. श्री संजय कुमार सिंह, अनुसचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. श्री आर0के0 श्रीवास्तव, उप महाप्रबन्धक हडको, लखनऊ।
7. डा0 अरूण कुमार राणा, सहायक महाप्रबन्धक, हडको, लखनऊ, प्रतिनिधि भारत सरकार।
8. श्री आई0पी0 कनौजिया, परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
9. श्री आर0एन0 पाल, स्टेट मिशन मैनेजर, एस0यू0एल0एम0, उ0प्र0।
10. श्री मो0 तैयब, स्टेट मिशन मैनेजर, एस0यू0एल0एम0, उ0प्र0।
11. श्री राजेश कुमार, कन्सलटेन्ट, डूडा– आगरा।

<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या–1</u>

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में सर्वप्रथम मिशन निदेशक/निदेशक सूडा द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक, "शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता योजना (Support to Urban Street Vendors - SUSV)" के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इस घटक का मुख्य उद्देश्य शहरी पथ विक्रेताओं को उनके कार्य के लिये उपयुक्त स्थलों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने के साथ शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कर उन्हें पहचान–पत्र जारी करना, शहरी पथ विक्रेता प्लान (सिटी स्टीट वेड़िंग प्लान) तैयार करना, शहर में वेड़िंग जोन हेतु अवस्थापना विकास हेतु विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (डिटेल इम्प्लीमेन्टेशन प्लान) (डी0आई0पी0) तैयार करना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, वित्तीय सहायता प्रदान करना है और सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध सहायता को पथ विक्रेताओं तक पहुॅचाना है। एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत उपलब्ध सम्पूर्ण बजट का 5 प्रतिशत तक इस घटक पर खर्च किया जा सकेगा। **समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए पिछली बैठक दिनांक 01.12.2015 की पुष्टि की गयी।**

<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या–2</u>

मिशन के अन्तर्गत चयनित शहरों में शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराने हेतु शहरी पथ विक्रेता प्लान आदि तैयार किया जाना है। योजना के दिशानिर्देशानुसार सूडा के पत्रांक–3369/241/एनयूएलएम/तीन/2001(एसयूएसवी) दिनांक 01.01.2015 (संशोधन–पत्रांक – 03/241/एनयूएलएम/तीन/2001(एसयूएसवी) दिनांक 01.04.2015)

द्वारा क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। सूडा के पत्रांक–687/241/NULM/तीन/2014(SUSV), दिनांक 22.05.2015 द्वारा शहरों हेतु एक मॉडल ड्राफ्ट निविदा (आर0एफ0पी0) को वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

उक्त दिशानिर्देशानुसार शहरी पथ विक्रेता प्लान आदि तैयार करने हेतु नगर निकायों द्वारा एजेन्सी का चयन निविदा जारी करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। उक्त दिशानिर्देश के प्रस्तर 6.2.2.7 के अनुसार चयनित एजेन्सी को शहरी पथ विक्रेता प्लान (सिटी स्ट्रीट वेडिंग प्लान) आदि तैयार करने हेतु कार्यादेश जारी करने से पहले उसके चयन को शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजनान्तर्गत गठित राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदनार्थ **आगरा** शहर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैं:–

1. आगरा शहर :

नगर आयुक्त, नगर निगम/परियोजना निदेशक आगरा के पत्रांक–87/डी0/एन0यू0एल0एम0/2015–16, दिनांक 01.01.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार करने हेतु 3 निविदायें प्राप्त हुई, जिनमें मात्र 02 संस्था ही इस निविदा में तकनीकी प्रस्ताव में पास हो पाई थी। न्यूनतम 03 संस्थाओं का प्रस्ताव प्राप्त होना आवश्यक था। अतः निविदायें निरस्त करने के पश्चात पुनः दिनांक 30.09.2015 को निविदा आमंत्रित की गयी। पुनः प्रकाशित निविदा के लिए निम्नलिखित दो प्रस्ताव प्राप्त हुएः–

1- N.F. Infratech Services Pvt. Ltd., 2- Yug Associates

दोनों संस्थायें तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन में न्यूनतम शर्तो को पूरी करती पायी गयीं। अतः दोनों संस्थाओं के वित्तीय टेण्डर दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सामने खाले गये, जिनमें N.F. Infratech Services Pvt. Ltd. की दर रू0 157 प्रति वेन्डर तथा Yug Associates की न्यूनतम दर रू0 152 प्रति वेन्डर प्राप्त हुआ। M/s Yug Associates की न्यूनतम दर रू0 152 प्रति वेन्डर की स्वीकृति देने की संस्तुति नगर आयुक्त द्वारा की गयी।

उक्तानुसार न्यूनतम निविदादाता M/s Yug Associates की निविदा रू0 152 प्रति वेन्डर का अनुमोदन राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा किया गया। समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि एजेन्सी को शीघ्र ही कार्यादेश जारी करते हुए अनुबंध किया जाये और निविदानुसार शहरी पथ विक्रेता प्लान आदि तैयार करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।

<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या–3</u>

नगर आयुक्त/परियोजना निदेशक डूडा– कानपुर नगर द्वारा पत्रांक– 1041/2015–16 दिनांक 12.01.16 द्वारा अवगत कराया गया है कि कानपुर नगर में शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजनान्तर्गत स्ट्रीट वेंडिंग प्लान तैयार किये जाने हेतु मांगी गयी निविदाओं के आधार पर स्टीसेलिट लि0, कोलकाता की न्यूनतम दरें रू0 159 प्रति वेन्डर स्वीकृत की गयी थी। स्टीसेलिट लि0, कोलकाता द्वारा अपने पत्र दिनांक 31.10.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी कम्पनी का Information Technology Division स्टीसेलिट सिस्टम्स लि0, कोलकाता में दिनांक 27.08.15 को विलय हो गया है। अतः पूर्व में उक्त कार्य हेतु दिये गये कार्यादेश तथा अनुबन्ध को परिवर्तित करते हुए स्टीसेलिट सिस्टम्स, लि0 कोलकाता के साथ कार्यादेश तथा अनुबन्ध की कार्यवाही की जाये।

नगर आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि इस सम्बन्ध में योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.01.2016 को आहूत की गयी। डूडा की बैलेन्सशीट तैयार किये जाने हेतु नामित सनदी लेखाकार, जिला शासकीय अधिवक्ता एवं

मुख्य विधि परामर्शी नगर निगम, कानपुर से उक्त विषयक परामर्श प्राप्त किया गया। समिति द्वारा मुख्य विधि परामर्शी से परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि चूंकि दोनों संस्थाओं के निदेशक एवं कार्यालय का पता समान है तथा स्टीसेलिट लि0, कोलकाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करा दिया गया था तथा अवशेष कार्य की जिम्मेदारी स्टीसेलिट सिस्टम्स लि0, कोलकाता लेने को तैयार है अतएव कार्यहित एवं कार्य की समयबद्धता पर विचार करते हुए स्टीसेलिट सिस्टम्स लि0, कोलकाता को नवीन कार्यादेश प्रदान करते हुए निधारित बैंक गारण्टी जमा कराते हुए अनुबन्ध की कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरान्त समिति द्वारा यथानुशंसा नगर आयुक्त/परियोजना निदेशक कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं शर्तो के आधार पर स्टीसेलिट लि0, कोलकाता के स्थान पर स्टीसेलिट सिस्टम्स लि0, कोलकाता के पक्ष में अपेक्षित कार्यवाही निष्पादित करने का अनुमोदन किया गया। अपेक्षित विधिमान्य कार्यवाही और औपचारिकताएं पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाये।

05/2/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा), उ0प्र0
नवचेतना केन्द्र, लखनऊ

पत्रांक– 140/241/NULM/TEEN/2001/SUSV दिनांक– 9/2/2016

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. संयुक्त सचिव, (यू0पी0ए0) आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
8. राज्य मिशन निदेशक, एस0यू0एल0एम0, सूडा उ0प्र0।
9. वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य शहरी आजीविका मिशन एस0यू0एल0एम0, उ0प्र0
10. क्षेत्रीय प्रमुख हडको, लखनऊ।
11. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा– आगरा।
12. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
13. परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
14. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, शहर मिशन प्रबंधन इकाई– आगरा।
15. परियोजना अधिकारी, डूडा– आगरा।
16. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक